प्रेस–विज्ञप्ति
राजस्व विभाग, उ0प्र0
लेखपाल भर्ती परीक्षा– 2015

जनपद का नाम :– आगरा | परीक्षा का नामः– लेखपाल राजस्व
विज्ञापन संख्याः– 875/भूलेख– | दिनांक– 01 जुलाई 2015

आवेदन पत्र स्वीकार (submit) किये जाने की अंतिम तिथि– 22 जुलाई, 2015
परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि– 21 जुलाई, 2015

प्रतियोगात्मक परीक्षा द्वारा लेखपाल के पद पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। लिखित परीक्षा दिनांक– 30 अगस्त, 2015 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा के समय व स्थल का उल्लेख प्रवेश पत्र पर उल्लिखित रहेगा, जिसे अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है ।

रिक्तियों का विवरण

क्रम	पदनाम	दिनांक–01.07.2015 को आयु	वेतनमान	कुल रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछडी जाति	पद हेतु शैक्षिक योग्यता	पद हेतु अधिमानी अहर्ता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	लेखपाल	न्यूनतम 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष	रू0 5200–20200 (ग्रेड पे 2000)	110	64	09	02	35	माध्यमिक शिक्षा उ0प्र0 की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा में उत्तीर्ण	1–प्रदेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या 2– राष्ट्रीय कैडेड कोर का "बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

1– लेखपाल पदों की भर्ती उ0प्र0 लेखपाल सेवा नियमावली, 2006 यथा संशोधित 2014 एवं समय समय पर जारी किये गये शासनादेश एवं परिषदादेश के अनुसार लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा 80 अंक की तथा साक्षात्कार 20 अंक का होगा।

2– दिनांक– 01.07..2015 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही उक्त दिनांक को अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक न हो। आयु सीमा के सम्बन्ध में उ0प्र0 सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली –1972 यथा सशोधित –2012 एवं वर्तमान में प्रभावी नियमों में उल्लिखित व्यबस्थानुसार छूट प्रदान की जायेगी । रिक्त पदों की संख्या को बढाया या कम किया जा सकता है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग के लिये आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों तथा उ0प्र0 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, उ0प्र0 के भूतपूर्व सेनिकों, उ0प्र0 समाज के विकलांगो तथा उ0प्र0 की महिला अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अघतन शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियॉ बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा ।

3– ऑनलाइन फार्म दिनांक– 22.07.2015 तक जमा किये जा सकेंगे। अनारक्षित (सामान्य) और पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों से रू0–300/– (+बैंक प्रभार अतिरिक्त) तथा उ0प्र0 के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को रूपया –150/– (+बैंक प्रभार अतिरिक्त) का आवेदन शुल्क ई–चालान के माध्यम से जिलाधिकारी के पक्ष में देय होगा, जिसका उल्लेख ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र पर किया जाएगा।

4– प्रदेश के सभी जनपदों में परिषद द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा ।

5– परीक्षा वस्तुनिष्ठ 80 अंक की तथा साक्षात्कार 20 अंक का होगा, परीक्षा सम्बन्धी जानकारी के संबन्ध में तिथि, समय, और परीक्षा एवं साक्षात्कार के आयोजन स्थल उम्मीदवारों को ई–प्रवेश पत्र के माध्यम से अभ्यर्थियों द्वारा डाउनलोड किया जायेगा, जो कि परिषद की वैब साइट http://bor.up.nic.in और जिले की वैबसाईट http://agra.nic.in पर उपलब्ध होगा।

6– ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप, ऑफलाईन परीक्षा सम्बन्धी निर्देश, अन्य सामान्य निर्देश एवं परीक्षा सम्बन्धी अन्य प्रासंगिक जानकारी व सम्पूर्ण विवरण परिषद की वैब साइट http://bor.up.nic.in और जिले की वैबसाईट... http://agra.nic.in पर उपलब्ध होगा ।

7– लेखपाल भर्ती परीखा– 2015 कि सम्बन्ध में पूर्व में दिनांक– 16.06.2015 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिन अभ्यर्थियों के परीक्षा शुल्क/ फार्म ,स्वीकार (submit) किये जा चुके है उन अभ्यर्थियों द्वारा पुनः परीक्षा शुल्क/ फार्म नही भरे जायेगें/ उनका अभ्यर्थन इस नयी विज्ञप्ति के लिये भी मान्य होगा ।

अध्यक्ष चयन समिति/
जिलाधिकारी, आगरा ।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः– 1– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0अनुभाग–4,लखनऊ की सेवा मे सूचनार्थ प्रेषित ।
2– आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा की सेवा मे सूचनार्थ प्रेषित ।
3– जिला सूचना आधिकारी , आगरा को इस निर्देश में साथ वह इस प्रेस विज्ञप्ति का आगामी अंक में दैनिक समाचार अमर उजाला, दैनिक जागरण समाचार पत्रो में रियायती दर पर प्रकाशन कराया जाना सुनिश्चित करें ।

अध्यक्ष चयन समिति/
जिलाधिकारी, आगरा ।